

बेगम बलिकसि का मकबरा वक्फ की संपत्ति नहीं

चर्चा में क्यों

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नरिणय दया कब्रिस्तानपुर में स्थित मुगल बादशाह शाहजहाँ की पुत्र वधु बेगम बलिकसि का मकबरा सहित तीन प्राचीन स्मारक वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है।

मुख्य बिंदु

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का तर्क: ASI ने तर्क दिया कि शाह शुजा स्मारक, नादरि शाह का मकबरा और बीबी साहबा की मस्जिद, प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत प्राचीन एवं संरक्षित स्मारक हैं।
- न्यायालय की टिप्पणी:
 - न्यायमूर्ति जी.एस. अहलवालिया ने कहा कि सभी संपत्तियाँ प्राचीन और संरक्षित स्मारक हैं तथा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के CEO द्वारा इन्हें वक्फ संपत्ति घोषित किया जाना भौतिक अवैधता है।
 - ASI ने प्रस्तुत किया कि प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 11 के अनुसार, आयुक्त स्मारक का संरक्षक होगा और ऐसे स्मारक के अनुरक्षण के उद्देश्य हेतु उसे स्वयं तथा उसके अधिकारिता द्वारा सभी उचित समयों पर स्मारक तक पहुँच प्राप्त होगी।
 - “जब तक कि प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 14 के तहत संरक्षकता वापस नहीं ले ली जाती, तब तक इसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है।”
- स्मारकों का विवरण:
 - शाह शुजा स्मारक:
 - शाह शुजा स्मारक में मुगल बादशाह शाहजहाँ के पुत्र शाह शुजा की पत्नी बेगम बलिकसि का मकबरा है।
 - बेगम बलिकसि की मौत बेटी को जन्म देते समय हुई थी जिसके बाद बेगम को बुरहानपुर में दफनाया गया था
 - खरबूजा महल के नाम से भी जाना जाने वाला यह मकबरा “एक भव्य गुंबद से सुसज्जित है।” इसका आधार एक उभरा हुआ वृत्ताकार चबूतरा है और यह पत्थर से बना है एवं इसका शेल मोर्टार से प्लास्टर किया गया है व चित्रों से सुसज्जित है।”
 - नादरि शाह का मकबरा:
 - नादरि शाह का मकबरा एक “वशाल मकबरा है, जो एक उत्थित चबूतरे पर बना है” और इसमें आठ तोरणपथ हैं।” इस इमारत में तीन कब्रें हैं।
 - बीबी साहबा की मस्जिद
 - बीबी साहबा की मस्जिद जिसे बीबी की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण गुजरात के सुल्तान मुफ्फर शाह द्वितीय की बेटी रानी बेगम रोकैया द्वारा लगभग 1529 ई. में पूरा करवाया गया था।